चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :– आर० ओ०/938 /2025–26 दिनांक :– 30-05-2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. छात्र कल्याण अधिष्ठाता,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

कृपया श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, मा0 राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः ई–3402/32–जी0एस0/2026, दिनांक 28.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा दबाव द्वारा धर्मान्तरण आदि को समाप्त किये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये है।

आपको मा0 राज्यपाल सचिवालय के पत्र दिनांक 28.05.2026 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव द्वारा धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के दृष्टिगत पत्र के प्रस्तर 04 के उप–प्रस्तर 4.1 से 4.6 में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं निवारक कदम के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

30/5/26

कुलसचिव

प्रतिलिपि :

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
02. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई–3402/32–जी0एस0/2026

दिनांकः 28/05/, 2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव द्वारा धर्मान्तरण के प्रयासों की खबरें प्रायः संज्ञान में आ रही हैं। एक सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष और अकादमिक वातावरण बनाए रखने हेतु यह अनिवार्य है कि प्रशासन सतर्क रहे और ऐसे प्रयासों को जड़ से समाप्त करने हेतु त्वरित रणनीति अपनाए।

2. उच्च शिक्षण संस्थान न केवल ज्ञान और नवाचार के केंद्र हैं, अपितु वे हमारे युवाओं के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक चरित्र–निर्माण की आधारशिला भी हैं। शिक्षण परिसरों का वातावरण सदैव अकादमिक उत्कृष्टता, वैचारिक स्वतंत्रता और सौहार्द से परिपूर्ण होना चाहिए।

3. छात्र–छात्राओं की सुरक्षा, संप्रभुता और मानसिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रभावित कर, भय दिखाकर, मानसिक दबाव बनाकर अथवा अनैतिक प्रलोभन देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध या बलपूर्वक धर्मान्तरण (Religious Conversion) के प्रयास पूर्णतः अवांछनीय, अनैतिक और विधि–विरुद्ध हैं।

4. अतः इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने एवं परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान के स्तर से निम्नलिखित प्रभावी एवं निवारक कदम (Preventive Measures) तत्काल प्रभाव से उठाए जाने अपेक्षित प्रतीत होता हैः–

4.1 मेंटर–मेंटी के साथ संवाद : मेंटर–मेंटी के Session में इस विषय को सम्मिलित किया जाय तथा छात्रगणों को इस विषय के सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक किया जाय।

...2/

28/05/26

4.2 सघन निगरानी एवं अंतःसंचार (Vigilance & Dialogue): विश्वविद्यालय एवं संस्थान स्तर पर 'एन्टी–रेडिकलाइजेशन' अथवा 'छात्र कल्याण प्रकोष्ठ' (Student Welfare Cell) को अत्यधिक सक्रिय किया जाए। शिक्षक–अभिभावक बैठकों (PTA Meetings) और अनौपचारिक संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों की मनोदशा और उनकी समस्याओं पर निरंतर दृष्टि रखी जाए।

4.3 संवाद और परामर्श व्यवस्था (Counseling Centers): परिसर में सुदृढ़ और संवेदनशील परामर्श केंद्र (Counseling Cells) स्थापित किए जाएं, जहाँ यदि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव, प्रलोभन या संदेहास्पद बहकावे में हो, तो वह बिना किसी संकोच के अपनी बात साझा कर सके। उसकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाए।

4.4 सुरक्षा एवं बाहरी तत्वों पर नियंत्रण: छात्रावासों (Hostels) और परिसर के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। संस्था के छात्रावासों में अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspections) सुनिश्चित किए जाएं।

4.5 जागरूकता एवं मूल्य–परक शिक्षा: विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, तार्किक सोच और विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष व्याख्यान एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिससे वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या प्रलोभन का शिकार न हों।

4.6 त्वरित विधिक कार्रवाई (Proactive Legal Action): यदि परिसर के भीतर या छात्रावासों में किसी भी संस्था, समूह अथवा व्यक्ति द्वारा ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास संज्ञान में आता है, तो स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को तत्काल सूचित करते हुए, राज्य के प्रभावी धर्मान्तरण–विरोधी कानूनों के अंतर्गत कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

5. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव द्वारा धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर 4 के उप–प्रस्तर 4.1 से 4.6 में उल्लिखित प्रभावी एवं निवारक कदम के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)